



प्रेस नोट

दिनांक 30.11.2025

थाना सिसोलर पुलिस द्वारा 590 ग्राम अवैध गांजा के अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.11.2025 को थाना सिसोलर पुलिस द्वारा सिसोलर मौदहा मार्ग से अभियुक्त जंगबहादुर पुत्र स्व० रामस्वरूप उर्फ टीलू को 590 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 112/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण

जंगबहादुर पुत्र स्व० रामस्वरूप उर्फ टीलू उम्र करीब 55 वर्ष नि०ग्राम भैसमरी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण:-

590 ग्राम अवैध गांजा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

1. मु०अ०सं० 58/2004 धारा 393/302 आईपीसी।
2. मु०अ०सं० 159/10 धारा 323/504/506 आईपीसी व 3(1)(10) एससी /एसटी एक्ट
3. मु०अ०सं० 125/13 धारा 308/504/325/323/506 भा०दं०सं०
4. मु०अ०सं० 173/22 धारा 504/506 आईपीसी
5. मु०अ०सं० 32/25 धारा 115(2)/352/351(3) बी०एन०एस०

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ०नि० शिवम दत्त
2. उ०नि० कपिल मलिक
3. का० सुरेन्द्र यादव

